न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./4310/2004/भरतपुर

रतन सिंह पुत्र गेंदा, जाति जाट, निवासी पार, तहसील व जिला भरतपुर।
-- अपीलाण्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र भूप सिंह
2. रामकली बेवा भूप सिंह
   जाति जाट, निवासी गॉव पार, तहसील व जिला भरतपुर।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 15-06-2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील संख्या 84/2003 अनुवानी मुकेश बनाम रतन सिंह पारित निर्णय दिनांक 18-8-2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी-अपीलार्थी रतन सिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 759 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पार, का प्रार्थी अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। भू प्रबन्ध में उक्त आराजी के खसरा नम्बर हाल 637 रकबा 54 एअर कायम किया गया है और इस प्रकार से साबिक के मुकाबले 6 एअर रकबा कम कर दिया गया है। प्रार्थी साबिक रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज है, अतः साबिक रकबे के अनुसार खसरा नम्बर हाल 637 रकबा 60 एअर कायम किया जाए। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 29-7-2002 से प्रार्थन पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 637 रकबा 54 एअर में खसरा नम्बर 992 रकबा 0.49 में से रकबा 0.05 एअर कम कर खसरा नम्बर 637 में जोडे जाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान

अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील संख्या 84/2003 अनुवानी मुकेश बनाम रतन सिंह में निर्णय दिनांक 18–8–2004 पारित किया जा कर अपील को स्वीकार किया और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3 – अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4– अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत जाते हुये, अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के विधिसम्मत निर्णय दिनांक 29–7–2002 को खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि हमारे द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया था उसमें प्रत्यर्थी राज्य पक्ष ही था, वर्तमान रैस्पो0 पक्षकार नहीं थे, अतः इन्हें अपील के साथ धारा 96, सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुयेय अपील पेश करनी चाहिए थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया है कि अपील के साथ में धारा 96 का आवेदन पत्र शामिल नहीं रहा है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर पर मैंडेटरी प्रावधानों की अवहेलना की गई है। प्रकरण में ये भी विचारणीय बिन्दु रहा है कि रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष करीब 41 वर्ष की असाधारण देरी से अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी किन्तु मियाद के बिन्दु को तय नहीं किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलार्थी का साबिक रकबा खसरा नम्बर 759 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का था जिसके खसरा नम्बर हाल 637 रकबा 54 एअर कायम किया गया है और इस प्रकार से साबिक के मुकाबले 6 एअर रकबा कम कर दिया गया है। अतः खसरा नम्बर 992 रकबा 0.49 में से रकबा 0.05 एअर कम कर खसरा नम्बर 637 में जोडे जाने का आदेश एक विधिक आदेश है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा मात्र रकबा दुरुस्ती का आवेदन किया गया था, अतः इसके लिये आवश्यक नहीं था कि दुरुस्ती का वाद दायर किया जाता। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुये, अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–8–2004 को निरस्त करने और अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने धारा 136 की कार्यवाही में खसरा

नम्बर 992 रकबा 0.49 में से रकबा 0.05 एअर कम कर खसरा नम्बर 637 में जोडे जाने का आदेश पारित किया है जो कि प्रक्रियात्मक रुप से गलत निर्णय है। रकबा कम ज्यादा करना भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत की जाने वाले कार्यवाही नहीं है क्योंकि धारा 136 के तहत भू प्रबन्ध में रही कमियों को शुद्धिकरण मात्र किया जा सकता है। एक खसरा नम्बर में से रकबा कम कर दूसरे खसरा नम्बर में मिलाये जाने के लिए इन्हें राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुरुस्ती का वाद दायर करना चाहिए था, अतः उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है जिसमें हस्तक्षेप करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अतः द्वितीय अपील के स्तर पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी–अपीलार्थी रतन सिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 29–7–2002 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 637 रकबा 54 एअर में खसरा नम्बर 992 रकबा 0.49 में से रकबा 0.05 एअर कम कर खसरा नम्बर 637 में जोडे जाने का आदेश पारित किया। भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार "लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर कभी भी नियत प्रक्रिया अनुसार किसी भी लिपिकीय त्रुटि या ऐसी गलती जिसे पक्षकारान स्वीकार करते हैं अथवा राजस्व अधिकारी निरीक्षण के दौरान रिकार्ड में ऐसी कोई त्रुटि पाता है, को दुरुस्त कर सकता है।" स्पष्ट है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 की कार्यवाही में केवल मात्र भू प्रबन्ध में की गई त्रुटियों को दुरुस्त किया जा सकता है, किसी विशिष्ट खसरा नम्बर में से भूमि कम कर दूसरे किसी खसरा में बढाये जाने या प्रकरण अधिकारों के विचारण का प्रश्न है तो इस प्रकार की कार्यवाही या आदेश धारा 136 की परिधि में नहीं आती है, इसके लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत नियमित वाद दायर करना चाहिए। प्रकरण में ये तथ्य स्वीकार्य योग्य है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा धारा 96, व्यवहार प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है किन्तु जैसा कि प्रकरण के तथ्य रहे हैं कि उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुये

अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 922 में से 5 एअर रकबा कम कर, रैस्पो0 के खसरा नम्बर में मिलाया गया है, अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी हितबद्ध व व्यथित पक्षकार हैं, अतः अपील करने का उन्हें अधिकार है। चूँकि परीक्षण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय किया गया है, अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है। फलतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। रैस्पो0 अपने कम हुये रकबे के लिये नियमित वाद लाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य